मेवाराम पुत्र श्री रेवतीलाल जाति जाटव नि0 सीता तहसील वैर जिला भरतपुर

वादीगण

बनाम

धर्मेन्द्र पुत्र हरीराम जाति जाटव नि0 सीता तहसील वैर जिला भरतपुर

बहादुर पुत्र रामा जाति जाटव नि0 सीता तहसील वैर जिला भरतपुर

हरीचरन पुत्र रामा जाति जाटव नि0 सीता तहसील वैर जिला भरतपुर

प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 188 आरटीए

उपस्थित 1. श्री देवेन्द्र पाठक – वादी

2. श्री खेमचन्द पोहिया– प्रतिवादी

निर्णय दिनांक – 25.09.24

वादी की ओर से वाद पत्र इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 602 रकबा 0.1600 हैक्ट. व आ0 ख0 नं0 604 रकबा 1.0000 हैक्ट. वाके ग्राम सीता तह0 वैर में स्थित है, जिसका वादी रिकॉर्डेड खातेदारी काश्तकार एवं काबिज आराजी है। वादी ही उपरोक्त आराजी का राज लगान राज्य सरकार को अदा करता चला आ रहा है। इसका साविक ख0नं0 446 मिन रकबा 7 बीघा 3 विस्वा है। वादी नियुक्त आराजी को जरिए रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 06.09.1996 को दौजी पुत्र नत्थू जाति चमार नि0 जहाज हाल सीता तहसील वैर से 70000 रूप्ये में खरीद किया था और खरीद के रोज से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने अपनी उक्त आराजी में बाजरे की फसल बोई है। जो कि मौके पर सर सब्ज खडी हुई है। तथा उक्त आराजी के चारों तरफ से डौल मेड हो रही हैं। प्रतिवादीगण का वादी की उपरोक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजी से किसी भी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण लठैत व सरगना व्यक्ति हैं। जो लट्ठ व ताकत के बल पर वादी की उपरोक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने पर अमादा हैं। और आए दिन फसल में मवेशी छोडकर नुकसान पहुंचाते रहते हैं। दिनांक 20.08.23 को प्रतिवादी ने वादी को खुलेआन धमकी दी है कि हम जबरन तेरी आराजी पर कब्जा करेंगे। और तेरी आराजी में अतिक्रमण व हस्तक्षेप कर निर्माण कर लेंगे और फसल नुकसान पहुंचाएंगे, और तुझे तेरी आराजी से बेदखल व महरूम कर देंगे व शांति से काश्त नहीं करने देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में सफल हो गए तो वादी को सख्त हक तलफी व बरवादी होगी। और वादी अपनी खातेदारी की काश्तकारी की आराजी से बेदखल व महरूम हो जाएंगे। व शांति से काश्त नहीं कर सकेगा और वादी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी। वदी वजह वादी प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है। वादी का कारण दिनांक 20.08.2023 को प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त आराजी में अतिक्रमण हस्तक्षेप व निर्माण करने व वादी को बेदखल व महरूम करने की धमकी व मुकाम सीता तहसील वैर में दिए जाने में पैदा हुआ है। अतः दावा वादी अंदर अवधि में पेश है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री जावे। वादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी ख0 नं0 602 रकबा 0.1600 हैक्ट. व आ0 ख0 नं0 604 रकबा 1.0000 हैक्ट. वाके ग्राम सीता तह0 वैर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हस्तक्षेप व निर्माण नहीं करें। तथा वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग में मदाखलत व मजाहमत वेजा नहीं करें।

1. मेवाराम पुत्र श्री रेवतीलाल जाति जाटव नि0 सीता तहसील वैर जिला भरतपुर

वादीगण

बनाम

1. धर्मेन्द्र पुत्र हरीराम जाति जाटव नि0 सीता तहसील वैर जिला भरतपुर

2. बहादुर पुत्र रामा जाति जाटव नि0 सीता तहसील वैर जिला भरतपुर

3. हरीचरन पुत्र रामा जाति जाटव नि0 सीता तहसील वैर जिला भरतपुर

प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 188 आरटीए

उपस्थित 1. श्री देवेन्द्र पाठक – वादी

2. श्री खेमचन्द पोहिया– प्रतिवादी

निर्णय दिनांक – 25.09.24

वादी की ओर से वाद पत्र इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 602 रकवा 0.1600 हैक्ट. व आ0 ख0 नं0 604 रकबा 1.0000 हैक्ट. वाके ग्राम सीता तह0 वैर में स्थित है, जिसका वादी रिकॉर्डेड खातेदारी काश्तकार एवं काबिज आराजी है। वादी ही उपरोक्त आराजी का राज लगान राज्य सरकार को अदा करता चला आ रहा है। इसका साविक ख0नं0 446 मिन रकबा 7 बीघा 3 विस्वा है। वादी नियुक्त आराजी को जरिए रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 06.09.1996 को दौजी पुत्र नत्थू जाति चमार नि0 जहाज हाल सीता तहसील वैर से 70000 रूप्ये में खरीद किया था और खरीद के रोज से काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने अपनी उक्त आराजी में बाजरे की फसल बोई है। जो कि मौके पर सर सब्ज खडी हुई है। तथा उक्त आराजी के चारों तरफ से डौल मेड हो रही हैं। प्रतिवादीगण का वादी की उपरोक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजी से किसी भी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण लठैत व सरगना व्यक्ति हैं। जो लट्ठ व ताकत के बल पर वादी की उपरोक्त आराजी पर जवरन कब्जा करने पर अमादा हैं। और आए दिन फसल में मवेशी छोडकर नुकसान पहुंचाते रहते हैं। दिनांक 20.08.23 को प्रतिवादी ने वादी को खुलेआन धमकी दी है कि हम जबरन तेरी आराजी पर कब्जा करेंगे। और तेरी आराजी में अतिक्रमण व हस्तक्षेप कर निर्माण कर लेंगे और फसल नुकसान पहुंचाएंगे, और तुझे तेरी आराजी से बेदखल व महरूम कर देंगे व शांति से काश्त नहीं करने देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में सफल हो गए तो वादी को सख्त हक तलफी व बरवादी होगी। और वादी अपनी खातेदारी की काश्तकारी की आराजी से बेदखल व महरूम हो जाएंगे। व शांति से काश्त नहीं कर सकेगा और वादी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी। वदी वजह वादी प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है। वादी का कारण दिनांक 20.08.2023 को प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त आराजी में अतिक्रमण हस्तक्षेप व निर्माण करने व वादी को बेदखल व महरूम करने की धमकी व मुकाम सीता तहसील वैर में दिए जाने में पैदा हुआ है। अतः दावा वादी अंदर अवधि में पेश है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री जावे। वादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी ख0 नं0 602 रकबा 0.1600 हैक्ट. व आ0 ख0 नं0 604 रकबा 1.0000 हैक्ट. वाके ग्राम सीता तह0 वैर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हस्तक्षेप व निर्माण नहीं करें। तथा वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग में मदाखलत व मजाहमत बेजा नहीं करें।

अधिकारी
भरतपुर

दावा के साथ नकल जमाबंदी संवत 2075–78, नकल रजिस्ट्री दिनांक 06.09.2016 एवं मिलान क्षेत्र0 2010–2030, एवं आधार कार्ड संलग्न किए हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। वादी की ओर से श्री खेमचन्द पोहिया एड. उपस्थित जबाव हेतु कई बार मौका देने के उपरांत जबाव पेश नहीं किया उक्त का जबाव बंद किया गया एवं प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु भी कई अवसर दिए गए। किंतु साक्ष्य पेश नहीं की गई। उक्त की साक्ष्य बंद की गई।

वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी गई। एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का भलीभांति अवलोकन किया गया। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि वादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी ख0 नं0 602 रकबा 0.1600 हैक्ट. व आ0 ख0 नं0 604 रकबा 1.0000 हैक्ट. वाके ग्राम सीता तह0 वैर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हस्तक्षेप व निर्माण नहीं करें। तथा वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग में मदाखलत व मजाहमत बेजा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.09.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी वैर
भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
वैर (भरतपुर)